



EAST CENTRAL RAILWAY

SAMASTIPUR / DIV

Digitally Signed.
Name: TRILOK NATH VERMA
(KYSKPM)
Date: 23-Feb-2026 15:51:51
Location: SPJD/ECR

ID: 2026615543

Office Order No. : 144/NG/2026/PERS(CGA)/SPJ

Office Of: मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

Date : 23-02-2026

मंडल रेल प्रबंधक (का0)/समस्तीपुर के ज्ञापन संख्या- का/239/तृतीय श्रेणी/अनु०/गो०/2025, दिनांक- 22.01.2026 द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थी अनुकम्पा के आधार पर कार्यालय सहायक, लेवल-01 के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य पाये गये हैं। ये सभी अभ्यर्थी निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में उत्तीर्ण हैं। इनके द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करने के उपरांत अस्थायी नियुक्ति करते हुए इनकी पदस्थापना कार्यालय सहायक के पद पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय / समस्तीपुर के प्रशासनिक सेल (Administration Cell) में निम्नवत् की जाती है:-

Sr No.	Employee Details Name, Community, DOB	Appointment Details	Posting Details Unit, BU, Department, Station	ID-Marks	W.E.F	Mode of Appointment	Employee Signature	Employee Photo
1	SANJAY PASWAN SC DOB: 08-06-1986 MEDICAL: Fit in C2 (Cert No: 6551) PAN: DKJPP8858K HRMS ID: OFULAC	OFFICE ASSISTANT (PERSONNEL/PEON) Level: 1 Basic: 18000	SAMASTIPUR / DIV 3006589 PERSONNEL SPJ	1. CUT MARK ON THE CHIN 2. BURN MARK ON RIGHT LEG	NA	CGA		

इन्हें समय-समय पर स्वीकार्य भत्ता देय है। वेतन का लाभ इनके वास्तविक कार्यभार ग्रहण की तिथि से देय होगा। इनका लियन कार्मिक विभाग में अनुरक्षित रहेगा। जहाँ नियुक्त पद पर प्रशिक्षण आवश्यक होगा, वहाँ संबंधित विभाग/अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था में अभ्यर्थी को सम्मिलित होना होगा। इनकी नियुक्ति के संबंध में वे सभी शर्तें लागू होगी जो एक अस्थायी कर्मचारी पर लागू होती है। चरित्र सत्यापन के दौरान प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने अथवा शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान त्रुटि पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इन्हें प्रादेशिक सेना के रेलवे इंजीनियरिंग इकाई में 12 वर्षों तक तथा प्रादेशिक सेना में 06 वर्षों तक सैन्य सेवा करनी होगी, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इनकी सेवा रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं0-F(E)/III/2003/PN-I/24 दिनांक- 31.12.2003 द्वारा जारी सभी नियमों एवं विनियमों के अधीन दिनांक- 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना अथवा रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं0- F(E)/III/2025/UPS/1 दिनांक- 28.03.2025 द्वारा जारी सभी नियमों एवं विनियमों के अधीन दिनांक- 01.04.2025 से प्रभावी एकीकृत पेंशन योजना एवं समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों से शासित होगी।

(त्रिलोक नाथ वर्मा)
सहायक कार्मिक अधिकारी-III

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. मरेप्र /सम0 के निजी सचिव को मरेप्र को सादर सूचनार्थ। 2. वमसाप्र(प्रशा0)/समस्तीपुर 3.वमविप्र/सम0 4.कार्याधी/मरेप्र के प्रशासनिक सेल/समस्तीपुर: वे कृपया संबंधित कर्मचारी का योगदान रिपोर्ट मरेप्र (का0) कार्यालय/समस्तीपुर को भेजवाना सुनिश्चित करें। 5. संबंधित बिल लिपिक 6. मुकार्याधी/एम. पी. पी.- वे कृपया इसे समस्तीपुर मंडल के वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें। 7. संबंधित कर्मचारी 8. मंडल मंत्री- ईसीआरईयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो0/सम0 8. अभिलेख हेतु।

(त्रिलोक नाथ वर्मा)
सहायक कार्मिक अधिकारी-III

Annexure attached : 0 Pages

समस्तीपुर